

an>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

HON. SPEAKER: Now, the House will take up Papers to be laid on the Table of the House.

...(Interruptions)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE (SHRI ANIL MADHAV DAVE): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Animal Welfare Board of India, Chennai, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Animal Welfare Board of India, Chennai, for the year 2014-2015.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 4983/16/16]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 35 of the the National Green Tribunal Act, 2010:-

- (i) The National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) (Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.437(E) in Gazette of India dated 22nd April, 2016.
- (ii) The National Green Tribunal (Practices and Procedure) (Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. S.O.1478(E) in Gazette of India dated 22nd April, 2016.
- (iii) The National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) (Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.484(E) in Gazette of India dated 5th May, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 4984/16/16]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 7A of the Public Liability Insurance Act, 1991:-

- (i) G.S.R.605(E) published in Gazette of India dated 16th June, 2016, making certain amendments in the Notification No. G.S.R.768(E) dated 4th November, 2008.
- (ii) G.S.R.606(E) published in Gazette of India dated 16th June, 2016, notifying a scheme, namely, the Environment Relief Fund Scheme, 2008.

[Placed in Library, See No. LT 4985/16/16]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) आयुध अधिनियम, 1958 की धारा 44 की उप-धारा (3) के अंतर्गत आयुध अधिनियम, 2016 जो 15 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 701(अ) में प्रकाशित हुई थी की एक प्रतिलिपि (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4986/16/16]

(2) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रतिलिपि (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) का.आ. 2052(अ) जो 09 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत विशेष न्यायालय अर्थात् कोर्ट ऑफ जूडिशियल कमिश्नर, रांची में एक न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।
- (दो) का.आ. 2053(अ) जो 09 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत विशेष न्यायालय अर्थात् प्रथम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, जगदलपुर में एक न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।
- (तीन) का.आ. 2054(अ) जो 09 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत विशेष न्यायालय अर्थात् कोर्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एडीशनल सेसन्स जज, मोहाली में एक न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।
- (चार) का.आ. 2055(अ) जो 09 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत विशेष न्यायालय अर्थात् कोर्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एडीशनल सेसनस जज, पंचकुला में एक न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।
(पांच) का.आ. 2052(अ) जो 09 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत विशेष न्यायालय अर्थात् कोर्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एडीशनल सेसनस जज, चंडीगढ़ में एक न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 4987/16/16]

(3) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (4) और (5) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 1697(अ) जो 10 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मुकेश मिश्र, संयुक्त सचिव (आईएस-11) की अभिहित प्राधिकारी के रूप में नियुक्ति के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4988/16/16]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषदातोतम रूपाता) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

1. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

- (क) (एक) ओडिशा एग्री इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) ओडिशा एग्री इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[Placed in Library, See No. LT 4989/16/16]

- (ख) (एक) पंजाब स्टेट एग्री इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) पंजाब स्टेट एग्री इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[Placed in Library, See No. LT 4990/16/16]

- (ग) (एक) मध्य प्रदेश स्टेट एग्री इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) मध्य प्रदेश स्टेट एग्री इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[Placed in Library, See No. LT 4991/16/16]

- (घ) (एक) केरल स्टेट एग्री इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) केरल स्टेट एग्री इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले पाँच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4992/16/16]

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सां. का.आ. 2162(अ) जो 21 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए वाणिज्यिक परीक्षणों के संचालन हेतु विनिर्मित किए जाने वाले, उसमें उल्लिखित उद्देश्यों के संबंध में विनिर्देशनों को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4993/16/16]

(4) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)--

- (एक) पादप संशोधन (भारत में आयात का विनियमन) (छठा संशोधन) आदेश, 2016, जो 19 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2453(अ) में प्रकाशित हुआ था
(दो) पादप संशोधन (भारत में आयात का विनियमन) (पांचवा संशोधन) आदेश, 2016, जो 30 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2248(अ) में प्रकाशित हुआ था
(तीन) पादप संशोधन (भारत में आयात का विनियमन) (चौथा संशोधन) आदेश, 2016, जो 23 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2192(अ) में प्रकाशित हुआ था
(चार) पादप संशोधन (भारत में आयात का विनियमन) (तीसरा संशोधन) आदेश, 2016, जो 25 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1873(अ) में प्रकाशित हुआ था

[Placed in Library, See No. LT 4994/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJJU): I beg to lay on the Table a copy of the Sashastra Seema Bal Group 'C' Combatized (Non-Gazetted) Para-Veterinary Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 64 in weekly Gazette of India dated 7th May, 2016 under sub-section (3) of Section 155 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007.

[Placed in Library, See No. LT 4995/16/16]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

1. (एक) नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4996/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): On behalf of Shri Arjun Ram Meghwal, I beg to lay on the Table a copy of the Report (Hindi and English versions) of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil) (No. 11 of 2016)-Compliance Audit Observations, for the year ended March, 2015 under Article 151(1) of the Constitution.

[Placed in Library, See No. LT 4997/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI C.R. CHAUDHARY): I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Central Warehousing Corporation and the Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4998/16/16]